रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. [illegible] (N)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 27, 1985/श्रावण 5, 1907

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 27, 1985/SRAVANA 5, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड IV
PART II—Section IV

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1985

का. नि. आ. 167 :— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेना इंजीनियर सेवा (ज्येष्ठ बैरक भंडार अधिकारी और बैरक भंडार अधिकारी) भर्ती नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना इंजीनियर सेवा (ज्येष्ठ बैरक भंडार अधिकारी और बैरक भंडार अधिकारी) (संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सेना इंजीनियर सेवा (ज्येष्ठ बैरक भंडार अधिकारी और बैरक भंडार अधिकारी) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में बैरक भंडार अधिकारी के पद से संबंधित मद के सामने स्तम्भ 12 के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

1. अपर महानिदेशक इंजीनियर (कार्मिक), प्रमुख इंजीनियर की शाखा	अध्यक्ष
2. उपमहानिदेशक, निर्माण (पी एंड सी) प्रमुख इंजीनियर की शाखा	सदस्य
3. अवर सचिव, (डी नियुक्तियां) रक्षा मंत्रालय	सदस्य

टिप्पण :— सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि संघ लोक सेवा आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।"

[फाईल सं. 85604/13/जी एस ओ/सी एम सी ई]

एन.औ. सुनेजा अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र भाग-2 खण्ड 4, तारीख 17 फरवरी, 1979 के पृष्ठ 53 और 54 पर सरकारी अधिसूचना रक्षा मंत्रालय सं. का. नि. आ. 46, तारीख 6 फरवरी, 1979 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा उनका संशोधन किया गया :—

(1) भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 4 के पृष्ठ 342 और 341 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना स. का. नि० आ० 236 तारीख 12 सितम्बर, 1979;

(2) भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 4 के पृष्ठ 251 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना स. का. नि. आ. 147 तारीख 9 जुलाई, 1984।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 4th July, 1985

S.R.O. 167.—In exercise of the powers confered by the proviso to article 309 of Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Military Engineer Service (Senior Barrack Stores Officer and Barrack Stores Officer) Rules, 1979, namely :—

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1985

का. नि. आ. 170:- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 में:—

(1) नियम 8 में, उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"(1क) उप-नियम (1) के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, वैज्ञानिक "ख" की श्रेणी में अधिक से अधिक 200 पद अनुसूची IV में अधिकथित अध्येतावृत्ति स्कीम के अधीन उनका प्रशिक्षण सफलता पूर्वक समाप्त होने पर "अध्येताओं" की नियुक्ति करके भरे जा सकेंगे।

(2) नियम 9 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"9(1) सेवा की वैज्ञानिक "ख" की श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या अधिवर्षिता की आयु से पूर्व पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे सेवा की किसी अन्य श्रेणी में नियुक्त किए गए व्यक्ति, अर्थात् वैज्ञानिक "ग" वैज्ञानिक "घ" वैज्ञानिक "ङ" वैज्ञानिक "च" और वैज्ञानिक "छ" जो सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हों या अधिवर्षिता की आयु से पूर्व पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किए गए व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे.

परन्तु महानिदेशक, परिवीक्षा की अवधि को, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, बढ़ा या घटा सकता है।

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में जहां परिवीक्षा को बढ़ाने की प्रस्थापना हो वहां महानिदेशक ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना अधिकारी को, परिवीक्षा की प्रारम्भिक या बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर देगा।"

(3) अनुसूची 3 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

टिप्पण— रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 4 में का. नि. आ. 8, तारीख 30 दिसम्बर, 1978, द्वारा प्रकाशित किए गए थे और नियम का. नि. आ. 307, तारीख 10 अक्तूबर, 1980, का. नि. आ. 196, तारीख 2 अगस्त, 1982, का. नि. आ. 159, तारीख 6 मई, 1983, का. नि. आ. 176, तारीख 7 अगस्त, 1984, का. नि. आ. 228, तारीख 13 नवम्बर, 1984 द्वारा संशोधित किए गए हैं।

"अनुसूची 4

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की अध्येतावृत्ति स्कीम के अधीन अध्येताओं की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, निम्नलिखित होंगे:—

(1) 'अध्येताओं' का चयन अखिल भारतीय आधार पर गुणानुक्रम के क्रम में साक्षात्कार के माध्यम से ऐसे अभ्यर्थियों में से किया जाएगा जिनके पास वैज्ञानिक 'ख' के पदों पर सीधी भर्ती के लिए, भौतिक, इलेक्ट्रानिकी, यांत्रिक इंजीनियरी, जीवविज्ञान और कम्प्यूटर विज्ञान में या किसी ऐसे विषय में जो महानिदेशक अनुसंधान और विकास द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, शैक्षिक अर्हताएं सफल प्राप्त हैं। ऐसे अभ्यर्थी भी जो अनुसूची 3 में विहित शैक्षिक अर्हताएं अर्जित करने के लिए अंतिम परीक्षा में बैठ रहे हैं, चयन के लिए अनंतिम तौर पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए, विचार में लिए जा सकते हैं कि उनका अंतिम चयन उनके द्वारा विहित अर्हता अर्जित कर लेने पर ही किया जाएगा।

(2) प्रशिक्षण की सामान्य अवधि एक वर्ष होगी प्रशिक्षण के दौरान 'अध्येताओं' को 1200 रु. (केवल बारह सौ रुपए) प्रति मास की समेकित वृत्ति या कोई अन्य रकम जो सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए, दी जाएगी और वे किसी अन्य भत्ते के हकदार नहीं होंगे। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उन्हें छात्रावास सुविधा प्रदान की जाएगी जहां ऐसी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है वहां वे सरकार की विद्यमान दरों पर अध्येतावृत्ति की रकम पर मकान भाड़ा/भत्ता लेने के हकदार होंगे।

(3) 'अध्येताओं' से उनके प्रशिक्षण की समाप्ति पर कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में सेवा करने के लिए एक बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाएगी यदि वे इसमें असफल रहते हैं तो उनसे प्रशिक्षण का खर्च, जो सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, देने की अपेक्षा की जाएगी।

(4) प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर 'अध्येताओं' की नियुक्ति रक्षा अनुसंधान विकास सेवा में, नियम 8(1क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, वैज्ञानिक 'ख' के रूप में करने पर विचार किया जा सकता है।

(5) ऐसे नियुक्तियां भी प्रयोजनों के लिए सीधी भर्ती समझी जाएगी। ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए 'अध्येता वृत्ति स्कीम' के माध्यम से वैज्ञानिक 'ख' नियुक्त किए गए व्यक्ति सामूहिक रूप से वैज्ञानिक 'ख' के रूप में नियुक्त, नियम 6 में विहित किसी अन्य पद्धति द्वारा चयन किए गए व्यक्तियों से, जिनमें वे भी हैं जिनका वैज्ञानिक 'ख' के रूप में चयन 'अध्येता' की वैज्ञानिक 'ख' के रूप में नियुक्ति की तारीख से पूर्वतर तारीख को ही कर लिया जाता है, कनिष्ठ होंगे अध्येताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके गुणानुक्रम क्रम से नियत की जाएगी।

(6) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 'अध्येताओं' को किसी भी समय बिना किसी सूचना के और बिना कोई कारण समनुदेशित किए, प्रशिक्षण से निर्मुक्त किया जा सकता है।

(7) 'अध्येताओं' से प्रशिक्षण के दौरान ऐसी सभी परीक्षण/परीक्षाएं उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी जो विभाग द्वारा विहित की जाएं जो व्यक्ति ऐसे परीक्षण/परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में असमर्थ रहेंगे और प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा नहीं करेंगे, उन्हें सेवा की वैज्ञानिक 'ख' की श्रेणी में नियुक्ति के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।"

[सं० पी० सी० 10331/डी आर डी एस/आर डी/पर्स-1/1642/डी (आर एंड डी)]

एस. एस. सल्होत्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 12th July, 1985

S.R.O. 170.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979, —

(1) in rule 8, after sub rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(1A) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1), not more than 200 posts in the grade of Scientist 'B' may be filled by appointment of 'Fellows' on their successful completion of training under the "Fellowship Scheme" as laid down in Schedule IV";

(2) in rule 9, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :—

"(1) Persons appointed to the grade of Scientist 'B' of the service either by direct recruitment or by promotion or by re-employment before the age of superannuation, shall be on probation for a period of two years. Persons appointed to any other grade of the service viz. Scientist 'C', Scientist 'D', Scientist 'E', Scientist 'F' and Scientist 'G', either by direct recruitment or by re-employment before the age of superannuation, shall be placed on probation for a period of one year :

Provided that the Director General may extend or curtail the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time :

Provided further that in cases where it is proposed to extend the period of probation, the Director General shall give notice in writing of his intention to do so, to the officer within twelve weeks after expiry of the initial or extended period of probation."

(3) after Schedule (III), the following Schedule shall be inserted, namely :—

M. L. SALHOTRA, Under Secy.

Note :—The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part II, Section 4, vide SRO 8 dated the 30th December, 1978, have been amended vide SRO 307 dated the 10th October, 1980, SRO 196 dated the 2nd August, 1982, SRO 159 dated the 6th May, 1983, SRO 176 dated the 7th August, 1984 and SRO 228 dated the 13th November, 1984.

"SCHEDULE IV

The terms and conditions of appointment of Fellows under the Fellowship Scheme of Defence Research and Development Organisation shall be as follows :—

(i) 'Fellows' shall be selected on all India basis through an interview in the order of merit, from amongst the candidates possessing the educational qualifications and age prescribed in Schedule III for direct recruitment for the posts of Scientist 'B' in the disciplines of Physics, Electronics, Mechanical Engineering, Aeronautics and Computer Science or in any other disciplines as may be specified by the Director General Research and Development. Candidates appearing for the final examination for acquiring the educational qualifications prescribed in Schedule III may also be considered for selection provisionally subject to the condition that their final selection, shall be subject to their acquiring the prescribed qualifications.

(ii) The normal period of training will be one year. During the training, the 'Fellows' will be paid a consolidated stipend of Rs. 1200 (Rupees twelve hundred only) per month or any other amount as determined by the Government from time to time and they shall not be entitled to any other allowance. They shall be provided with Hostel accommodation during the period of training. Where such accommodation is not provided, they shall be entitled to draw House Rent Allowance only at the Government prevailing rates on the amount of Fellowship.

(iii) The 'Fellows' shall be required to execute a bond to serve in the Defence Research and Development Organisation on completion of their training for at least a period of three years, failing which they shall be required to pay for the cost of training as may be determined by the Government.

(iv) On successful completion of training, the 'Fellows' may be considered for appointment as Scientist 'B' in Defence Research and Development Service as per the provisions contained in rule 8(1A).

(v) Such appointments shall be treated as direct recruitment for all purposes. For the purpose of seniority, Scientist 'B' appointed through the "Fellowship Scheme" shall rank enbloc junior to all those selected for appointment as Scientist 'B' through any other method prescribed in rule 6, including those who are selected for appointment directly as Scientist 'B' earlier than the date of appointment of 'Fellow' as Scientist 'B'. The seniority of 'Fellows' among themselves shall be fixed in the order of their merit.

(vi) During the period of training, the 'Fellows' may be discharged from training at any time without notice and without assigning any reason.

(vii) During the training the 'Fellows' are required to pass all the tests/examinations which may be prescribed by the department. Those who are not able to pass such tests/examinations and do not successfully complete the training, shall not be considered for appointment to the grade of Scientist 'B' of the service."

[F. No. PC 10331/DRDS/RD/Pers-1/3642/D(R&D)]
M. L. SALHOTRA, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985